RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-01
January -2019
ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

"बीपीएल परिवार के लिए पात्रता मानदण्ड एवं बीपीएल विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का एक अध्ययन" (नागौर जिले के विशेष सन्दर्भ में)

[1]Bhagirath Saini & [2]Dr.Bhabagrahi Pradhan

[1]*Research Scholar, Dept. of Education. JVBI Ladnun (India)*
[2]*Assistant Prof., JVBI Ladnun, Rajasthan (India)*

उद्देश्यः–

शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध–पत्र का उद्देश्य बीपीएल (Below Poverty Level) वर्ग के लिए सरकार एवं प्रशासन द्वारा बीपीएल वर्ग के परिवारों की पात्रता के लिए तय किए मानदण्ड तथा बीपीएल विद्यार्थियों की शैक्षिक, आर्थिक एवं मानसिक समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का अध्ययन करना है। वर्तमान समय में बीपीएल वर्ग के विद्यार्थियों को अनेक शैक्षिक, आर्थिक, एवं मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ चलाई गई है, जिसका शोधार्थी द्वारा इन योजनाओं का अध्ययन करने के लिए एक संक्षिप्त प्रयास किया गया हैं।

प्रस्तावनाः–

आर्थिक दृष्टि से समाज में तीन वर्ग धनिक, मध्यम तथा निर्धन पाए जाते हैं। तीनों वर्गों के खान–पान, रहन–सहन, आचार–विचार, सामाजिक स्तर आदि में अन्तर पाया जाता है। आज समाज में धनी व्यक्ति को अधिक सम्मान मिलता है। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसका सम्बन्ध किसी भी वर्ग से क्यों न हो, अधिक धन प्राप्त करना चाहता है, जिससे उसकी स्थिति उच्च हो। इस प्रकार व्यक्ति एक वर्ग से दुसरे वर्ग में गतिशील हो जाता है।

आर्थिक स्थिति भी सामाजिक परिवर्तन का एक कारक होती है। उच्च आर्थिक स्थिति के लोग सामान्यतः जाति व धर्म के बन्धन तोड़कर अपने बराबर के आर्थिक स्तर के परिवारों में विवाह सम्बन्ध कायम कर लेते है। सरकार का यही प्रयास रहता है कि जनता के बीच में आर्थिक आधार पर वर्ग संघर्ष की भावना कम हो तथा बीपीएल वर्ग भी उच्च वर्ग में सम्मिलित होकर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति कर सके।

2011 में हुई सामाजिक–आर्थिक गणना के सर्वे के अनुसार अब बीपीएल की पात्रता सूची में सरकार की नई गाइड लाइन अनुसार अब बीपीएल श्रेणी में चयन प्रक्रिया 'सामाजिक–आर्थिक जनगणना–2011' के अनुसार तय की जाएगी। जिसका वर्णन शोधार्थी द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत किया गया हैं :–

निधर्नता रेखा :–

गरीबी रेखा या निधर्नता रेखा (Poverty line) आय के उस स्तर को कहते है जिस से कम आय होने पर व्यक्ति अपनी भौतिक जरुरत को पूरा करने में असमर्थ होता है। सामान्यतः भोजन,वस्त्र एवं घर की आवश्यकता पूर्ण होनी चाहिए।

भारत में योजना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि खानपान पर शहरों में 965 रुपये और गाँवों में 781 रुपये प्रति महीना खर्च करने वाले व्यक्ति को निर्धन नहीं माना जा सकता है। निधर्नता रेखा की नई परिभाषा तय करते हुए योजना आयोग ने कहा कि इस तरह शहर में 32 रुपये और गाँव में प्रतिदिन 26 रुपये खर्च करने वाला व्यक्ति बीपीएल परिवारों को मिलने वाली सुविधा को पाने का हकदार नहीं है।

वर्ष 2002 से बीपीएल श्रेणी में चयनित कई परिवार अब बीपीएल योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो जाएगें। सरकार की नई गाइड लाइन अनुसार अब बीपीएल श्रेणी में चयन प्रक्रिया 'सामाजिक–आर्थिक जनगणना–2011' के अनुसार तय की जाएगी। नई गाइड लाइन में अब दुपहिया वाहन मालिक से लेकर लैंडलाइन फोन धारक तक इस श्रेणी से वंचित होंगे।

2011 में हुई सामाजिक–आर्थिक गणना के सर्वे के अनुसार अब बीपीएल की पात्रता सूची रविवार को पंचायत स्तर पर होने वाली ग्राम सभाओं में नए सिरे से तैयार की जाएगी। ताकि जनगणना के अनुसार अब तक

RRIJM 2015, All Rights Reserved

आवासहीन परिवारों की सूची तैयार कर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा सकें।

आवासहीन, कच्चा आवास, एक कमरे का आवास वाले ग्रामीण परिवार जिनके नाम 2011 सामाजिक–आर्थिक जनगणना में शामिल नहीं है, वह परिवार रविवार को ‘राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस’ पर ग्राम सभाओं के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण के लिए सहायता राशि एक लाख अड़तालिस हजार दो सौ नब्बे रुपये के लिए वरियता सूची में नाम जुड़वा सकेगें। ऐसे परिवारों की ग्राम सभाओं के दौरान पृथक से सूची तैयार की जाएगी। जहाँ उन्हें सत्यापन करवाना होगा।

<u>बीपीएल श्रेणी से बाहर होने वाले अपात्र परिवारः–</u>

बीपीएल के अपात्र :– जनगणना 2011 के अनुसार बीपीएल की पात्रता सूची में मोटर चालित दुपहिया, तीन पहिया, चार पहिया वाहन एवं मोटर चालित मछली पकड़ने की नाव रखने वाला मालिक, मशीन चालित, तीन अथवा चार पहिया वाला कृषि उपकरण रखने वाला किसान, पचास हजार और इससे अधिक की मानक सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड धारक, सरकारी सेवा वाले परिवार का कोई भी सदस्य,सरकार में पंजीकृत गैर कृषि उद्योग वाले परिवार का सदस्य, जिस परिवार में कोई भी सदस्य दस हजार अथवा इससे अधिक रुपये प्रति माह कमाता है। पक्की दीवार एवं छत वाले मकान का मालिक, रेफ्रीजरेटर का उपभोग करने वाला, लैंडलाइन फोन धारक, कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ ढाई एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि का मालिक आदि व्यक्ति इस योजना में पात्रता से वंचित रहेगें।

<u>बीपीएल श्रेणी में सम्मिलित होने वाले पात्र परिवारः–</u>

बीपीएल के पात्र :– जनगणना 2011 के अनुसार बीपीएल की पात्रता सूची में प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची में बेघर परिवार, निराश्रित एवं भिक्षुक, मैला ढोने वाले आदिम जनजातीय समूह के लोग, कानूनी रुप से मुक्त किए गए बंधवा मजदूर आदि शामिल होगें। तथा घर की स्थिति महत्त्वपूर्ण होगी।

इनके अलावा कच्ची दीवार एवं कच्ची छत के साथ एक कमरे में रहने वाला परिवार, महिला मुखिया वाला परिवार जिसमें 16 से 59 साल की आयु वाला कोई वयस्क व्यक्ति नहीं हो, निःशक्त सदस्य वाले परिवार और किसी सक्षम शरीर वाले वयस्क सदस्य से रहित परिवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाले परिवार, ऐसे परिवार जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई वयस्क सदस्य साक्षर नहीं हो, भूमिहीन परिवार जो अपनी ज्यादातर कमाई दिहाड़ी मजदूरी से प्राप्त करते हो वे इस योजना के पात्र होगें।

<u>नागौर जिले का मानचित्र एवं बीपीएल परिवारों की संख्याः–</u>

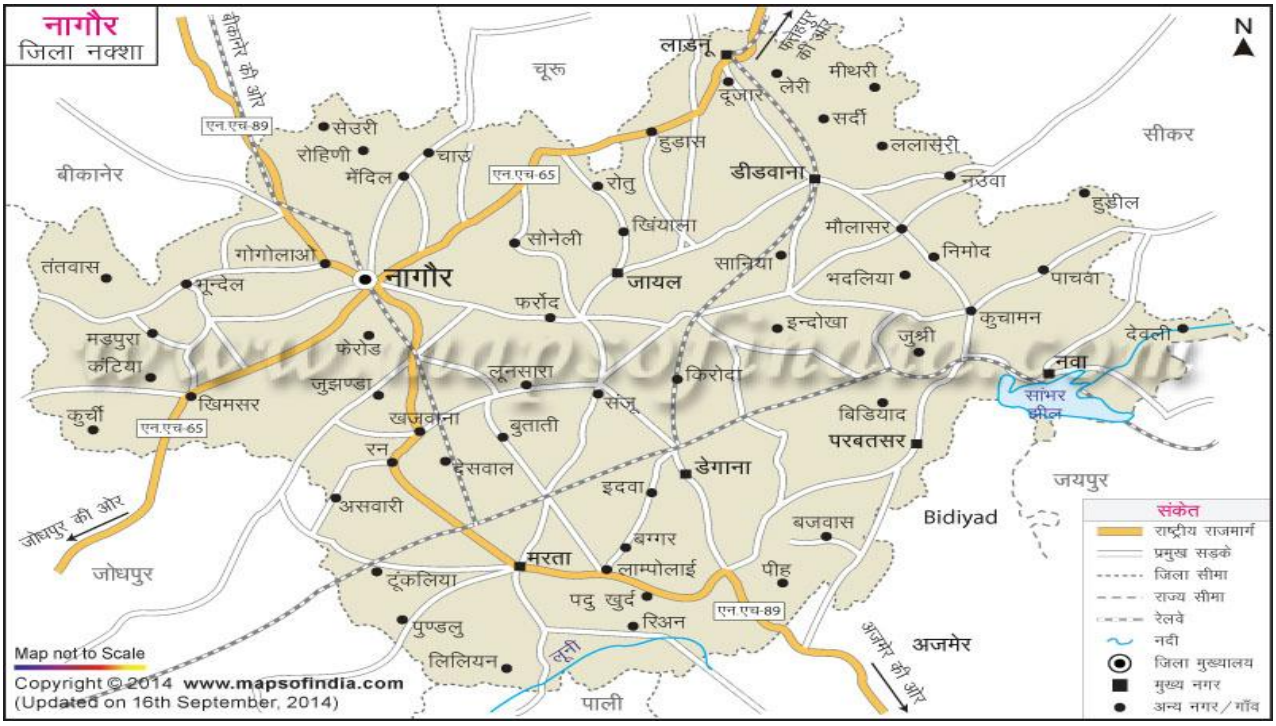

<u>नागौर जिले में बीपीएल परिवारों की संख्या</u> (तहसिलें एवं पंचायत समिति वार) :– अंतिम अद्यतन तिथि :– 19/01/2019

नागौर जिले की तहसिलें एवं पंचायत समिति वार बीपीएल परिवारों की संख्याः-

नागौर जिले में कुल परिवार :- 456600

बीपीएल परिवार की संख्या :- 60309

गैर बीपीएल परिवार की संख्या :- 396291

<u>नागौर जिले में बीपीएल परिवारों के विद्यार्थियों हेतु सरकार द्वार चलाई जाने वाली योजनाएँ</u> :-

सरकार बीपीएल परिवारों के विद्यार्थियों की शैक्षिक, आर्थिक एवं मानसिक समस्याओं के समाधान हेतु अनेक सरकारी योजनाएँ चला रही हैं, जिनमें बीपीएल परिवारों के विद्यार्थियों के जीवन स्तर में सुधार होगा तथा वे अपने जीवन स्तर को सुधार कर उच्च श्रेणी का बना सकेगें। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएँ निम्नलिखित हैं :-

[1.] <u>इन्दिरा आवास योजना</u> :-1996

इन्दिरा आवास योजना की उत्पत्ति ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों से हुई है, जो वर्ष 1980 के शुरु में प्रारम्भ हुई। 1 जुन, 1985 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गांरन्टी कार्यक्रमो की निधियों के एक हिस्से को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा मुक्त बन्धुआ मजदुरों के लिये मकानों का निर्माण करने हेतु रखा गया। वर्ष 1993-94 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बीपीएल गैर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोगो को भी शामिल किया गया । इस योजना को 1 जनवरी 1996 में स्वतंत्र योजना बना दिया गया। योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल चयनित परिवारों को एक मुश्त वित्तीय सहायता देकर आवासहीन इकाइयों के निर्माण/उन्नयन में मदद करना है।

[2.] <u>स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना</u> :-1 अप्रेल 1999

स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना एक सर्वांगीण कार्यक्रम के रुप में स्वरोजगार के सभी पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। इसके अन्तर्गत मुख्य गतिविधियों का चयन कर उनको कलस्टरों में क्रियान्वित करने, गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को स्वयँ सहायता समूहों के रुप में संगठित करने, व्यक्तिगत लाभार्थियों का चयन करने उनकी क्षमता विकसित करने के साथ ही प्रशिक्षण, अवसंरचना प्रौद्योगिकी, साख एवं विपणन के क्षेत्रों को विकसित किया जाना जारी है। ‘‘स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना’’ का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों को सरकारी अनुदान तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण दिलाकर वृद्धि करने वाली परिसम्पत्तियाँ उपलब्ध कराकर उनको गरीबी रेखा से उपर उठाना है।

[3.] <u>ग्रामीण हाट योजना</u> :-2004-05

इस योजना का उद्देश्य नये उद्यमियों विशेषतः कमजोर वर्ग के हस्त-शिल्पियों व दस्तकारों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराना है।

[4.] <u>शहरी हाट योजना</u> :-2006-07

राज्य के निर्धनतम बीपीएल परिवारों, हस्तशिल्पियों, स्वयं सहायता समूहों, लघु उद्यमियों को मार्केटिंग/ विपणन सुविधा उपलब्ध कराना ।

[5.] <u>रियायती दर पर चीनी का वितरण योजना</u> :-

राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों को प्रतिमाह चीनी उपलब्ध करवाई जाती है। पुरानी योजना है।

[6.] <u>कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (केजीबीवी)</u>:-2005-06

राजस्थान में कुल 200 कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय (केजीबीवी) संचालित है। जिनमें से 186 शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉको में तथा 14 कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय अल्पसंख्यक बाहुल्य शहरी क्षेत्रों में संचालित है। केजीबीवी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, बीपीएल परिवारों की शिक्षा से वंचित बालिकाओं को उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6,7,8) की गुणवत्ता युक्त शिक्षा आवासीय सुविधा सहित निःशुल्क प्रदान की जाती है।

[7.] <u>आपकी बेटी योजना</u> :-2004-05

आपकी बेटी योजना के अन्र्तगत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत प्रथम वरीयता में आने वाली बालिकाएँ जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों की है, एवं जिनके माता-पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, को लाभान्वित किया जाता है। कक्षा 1 से 8 में ऐसी पात्र अध्ययनरत बालिकाओं को 1100 रुपये प्रति वर्ष एवं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को 1500 रुपये प्रति वर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

[8.] <u>पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जन श्री बीमा योजना)</u> :-2006

वर्ष 2006-07 से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) प्रत्येक परिवार को बीमा लाभ के साथ परिवार के आश्रित दो पुत्र/पुत्रियों को कक्षा 9 से 12 में अध्ययन रहने की स्थिति में 300 रुपये त्रैमासिक की दर से वार्षिक 1200 रुपये छात्रवृति दी जा रही है।

[9.] <u>मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना</u> :-2009

मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के अर्न्तगत बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल परिवार,आस्था कार्डधारी परिवार, एचआईवी/एड्स मरीज, वृद्धावस्था/विधवा, विकलांग पेन्शनधारी, अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी, व्यक्ति को या परिवार के सदस्य को समस्त राजकीय चिकित्सालयों के इन्डोर एवं आउटडोर में निःशुल्क उपचार किया जाता है। प्रारम्भ में केवल बीपीएल परिवारों को साम्मिलित किया गया। तत्पश्चात् समय-समय पर अन्य नई श्रेणियों के परिवारों/ व्यक्तियों को भी योजना में सम्मिलित किया गया है।

[10.] <u>राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना</u> :-2011

राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना राजस्थान सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन की दिशा में उठाया गया एक कदम है। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोग जो गरीब है, परन्तु बीपीएल लिस्ट में नहीं है, वे सभी परियोजना के अन्तर्गत लक्षित है। परियोजना का मुख्य लक्ष्य गरीब परिवार की महिलाओं की सहायता करना एवं उनको ऋण दिलाकर आजीविका के विभिन्न तरीकों से अवगत कराकर उनकी क्षमता वर्धन एवं संस्थागत विकास से संसाधनों की पूर्ति कराकर उनका सम्पूर्ण विकास करना है।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के 17 जिलों के 4,00000 गरीब परिवारों को परियोजना से जोड़कर उनके स्वयँ सहायता समूह बनाना तथा उन्हें बैकों से जोड़ना है, जिससे वे अपने आजीविका के माध्यम खोजकर या अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सके एवं अपने तथा परिवार का जीवन स्तर सुधार सकें।

[11.] <u>छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना</u> :-1 अप्रेल 2014

समस्त राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र वर्ष 2016-17 की कक्षा 9 में नवीन प्रवेश लेने वाली समस्त शहरी व ग्रामीण छात्राओं को।

[12.] <u>सामाजिक एकजुटता व संस्थागत विकास योजना</u> :-1 अप्रेल 2014

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के इस घटक के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह बनाये जायेगें। स्वयँ सहायता समूहों का गठन Resource Organizations (NGOs) के माध्यम से किया जायेगा।

[13.] <u>कौशल प्रशिक्षण तथा रोजगार योजना</u> :-1 अप्रेल 2014

कौशल प्रशिक्षण व प्लेसेसमेटेट द्वारा रोजगार का मुख्य उदेश्य शहरी BPL परिवार के सदस्यों को कौशल प्रशिक्षण दिलवाया जाकर उनको रोजगार व स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाना है। इस घटक का क्रियान्वयन राजस्थान राज्य आजीविका तथा कौशल विकास निगम (RSLDC) के माध्यम से किया जा रहा है।

[14.] <u>स्वरोजगार योजना</u> :-1 अप्रेल 2014

इस योजना के अन्तर्गत एकल व समूह उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण के रुप में आर्थिक सहयोग का प्रावधान है। व्यक्तिगत उद्यम (रुपये 2 लाख) एवं समूह उद्यम (10 लाख रुपये) अधिकतम ऋण पर बैंकों के द्वारा प्रचलित ब्याज दर की जगह मात्र 7 प्रतिशत ब्याज दर देय होगी। शेष ब्याज का वहन योजनान्तर्गत किया जायेगा।

[15.] <u>शहरी पथ विक्रेताओं को सहयोग योजना</u> :-1 अप्रेल 2014

इस घटक का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पथ विक्रेताओं (Street Vendors) की आजीविका तथा समस्याओं का समाधान तथा शहरों का सुनियोजित विकास है। पथ विक्रेताओं का सर्वे व पंजीयन कर पहचान पत्र जारी करना।

[16.] <u>आवासविहीन लोगो हेतू आश्रय स्थल योजना</u> :-1 अप्रेल 2014

इस घटक के अन्तर्गत एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों में 24 X 7 सामुदायिक आश्रय भवनों का निर्माण कर आश्रय विहीन लोगों हेतु अस्थायी

आश्रय स्थल व मूलभूत सुविधाएँ (किचन, पानी, शौचालय, भोजन, स्वास्थ्य संबंधी सेवायें) उपलब्ध कराना।

[17.] <u>मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना</u> :- 2015-16

माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए।

चयनित मेधावी बालिका को वित्तीय सहायता कक्षा 11 व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण प्राप्त करने तक दी जायेगी। इस हेतु पुस्तकें, स्टेशनरी, यूनीफॉर्म इत्यादी के लिये 15000 रुपये वार्षिक एकमुश्त प्रदान किये जायेगें।

कक्षा 11-12 में व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन हेतु समस्त शुल्क, खेल विद्यालयों, खेल कोचिंग संस्थाओं का प्रशिक्षण, अन्य शुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी हेतु कोचिंग शुल्क, छात्रावास शुल्क इत्यादी की राशी के वास्तविक व्यय का भुगतान सम्बन्धित संस्था/संस्थाओं के बैंक खाते में किया जायेगा। इस हेतु अधिकतम एक लाख रुपये प्रतिवर्ष व्यय किया जा सकेगा।

कक्षा -12 के पश्चात् व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण से स्नातकोत्तर की शिक्षा/प्रशिक्षण प्राप्त करने तक दी जायेगी। इस हेतु पुस्तकें, स्टेशनरी, यूनीफार्म इत्यादी के लिये 25000/- रुपये वार्षिक एकमुश्त प्रदान किये जायेगें।

कक्षा-12 के पश्चात् व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षण संस्थाओ में अध्ययन हेतु समस्त शुल्क,खेल विद्यालयों,खेल कोचिंग संस्थाओं का प्रशिक्षण, अन्य शुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी हेतु कोचिंग शुल्क, छात्रावास शुल्क इत्यादी की राशी के वास्तविक व्यय का भुगतान संबंन्धित संस्था/संस्थाओं के बैंक खाते में किया जायेगा। इस हेतु अधिकतम दो लाख रूपये प्रतिवर्ष व्यय किया जा सकेगा।

[18.] <u>प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना</u> :-1 मई 2016

मुख्य उद्देश्यः- गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना।

वित्तीय सहायताः- प्रत्येक BPL परिवार को 1600 रुपये कि सहायता।

इस तरह सरकार बीपीएल परिवारों के विद्यार्थियों की शैक्षिक, आर्थिक एवं मानसिक समस्याओं के समाधान हेतु अनेक सरकारी योजनाएँ चला रही हैं। जिनमें बीपीएल परिवारों के विद्यार्थियों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु ‘‘राष्ट्रीय महिला कोष (1993)’’ बीपीएल या गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु उत्पादन गतिविधियों के लिए ऋण सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध कराकर उनकी आय बढ़ाना हैं।

‘‘राज राजेश्वरी बीमा योजना (1997)’’ बीपीएल या गरीबी रेखा से नीचे की बालिकाओं एवं महिलाओं में आर्थिक सुरक्षा कायम करना। तथा ‘‘बालिका समृद्धि योजना’’ और बीपीएल परिवारों के विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु ‘‘सर्व शिक्षा अभियान’’ आदि चलाये जा रहे हैं। ‘‘राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना’’ बीपीएल या गरीबी रेखा से नीचे के वृद्ध लोगों को पेंशन प्रदान करना।

चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा (RTE Act) 1 अप्रेल (2010)’’ के तहत बीपीएल बच्चों के लिए Private स्कूलों में मुफ्त शिक्षा एवं फीस का पुर्नभरण। बीपीएल बच्चों के लिए छात्रवृतियाँ। इसके अलावा सरकार समय-समय पर बीपीएल परिवारों के विद्यार्थियों की शैक्षिक, आर्थिक एवं मानसिक समस्याओं के समाधान हेतु अनेक सरकारी योजनाएँ चलाती रहती हैं।

<u>सारांश</u> :-

शोधार्थी द्वारा ‘‘नागौर जिले के (विशेष सन्दर्भ में) ‘‘बीपीएल परिवार के लिए पात्रता मानदण्ड एवं बीपीएल विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का एक अध्ययन’’ विषय पर संक्षिप्त रुप से शोध-पत्र तैयार किया गया है। विद्यार्थियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये सरकार अनेक प्रयास कर रही हैं। स्वतंत्रता के पश्चात (बीपीएल) वर्ग के छात्रों की शैक्षिक, आर्थिक एवं मानसिक समस्याओं के लिए तथा सामाजिक स्तर सुधारने के लिए सरकार अनेक योजनाएँ चला रही हैं। एक राष्ट्र की उन्नति उसके नागरिकों पर निर्भर है, और आज का बालक ही देश का भावी नागरिक हैं।

अतः सरकार द्वारा इस बात का प्रयास करना आवश्यक है कि पात्र बीपीएल परिवार को किसी कारण से उनकी शिक्षा में आर्थिक आधार एवं अन्य प्रकार से किसी तरह का व्यवधान नहीं आए। पात्र बीपीएल परिवारों को पूर्ण रुप से सुविधा मिलनी आवश्यक है। जिस से बीपीएल वर्ग को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का पूर्ण लाभ एवं भागीदारी सुनिश्चित हो सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1.झा, मदनमोहन (2003), ‘‘समावेशी-शिक्षाः दृष्टिकोण व प्रक्रियाएँ’’, नई दिल्ली।

2.पारीक मथुरेश्वर, शर्मा रजनी (जनवरी 2007),‘‘ उदयीमान भारत एवं शिक्षा’’ शिक्षा प्रकाशन, जयपुर (पेज न.102)

3.शर्मा,दिनेश (2015),‘‘समसामयिक भारत एवं शिक्षा’’,जयपुर, अरिंहत शिक्षा प्रकाशन।

4.सिंह, रामपाल व त्यागी ओ.एस. (2008), ‘‘उदयीमान भारतीय समाज एवं शिक्षा’’ आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर।

Report & Survey :-

1.योजना आयोग की BPL पर सर्वेक्षण रिर्पोट, नगर पालिका, डीडवाना (2011-12) 2.स्त्रोतः नगर पालिका डीडवाना, नागौर की BPL पर सर्वेक्षण रिर्पोट (2011)

3.तेंदुलकर एवं सी.रंगराजन समिति की गरीबी पर तुलना रिर्पोटः स्त्रोतः योजना आयोग भारत सरकार, (2014)

4.तेंदुलकर,सुरेश ‘‘Rangrajn प्रेस सूचना ब्यूरो/भारत सरकारः योजना आयोग (07- अगस्त 2014)

Website :-

1.https://bpl.wikipedia.org, page no.1-2

2. http://ibs.rajasthan.gov.in/ViewScheme.aspx?action=view&viewid=8

3. अप्रतिम,‘‘विद्यार्थी एवं जीवन का कटू सत्य’’: ब्लॉग, पृष्ठ सं.4

पत्र-पत्रिका एवं लेख :-

1.‘‘शिविरा पत्रिका’’,राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग,बीकानेर,मई-जून 2008,पृष्ठ सं.11

2.उपाध्याय,ऊषाः,‘‘लेखः बीपीएल विद्यार्थियों की मानसिक समस्याएँ’’। पृष्ठ संख्या-3

3.‘‘गरीब बीपील बच्चें ही निःशुल्क एडमिशन के हकदार’’ रिपोर्ट,‘‘दैनिक भास्कर’’ मंगलवार ; 12 अप्रेल (2016)

4.‘‘निजी स्कूलों में मुफ्त पढ़ेगें बच्चे’’। 23 मार्च 2011,राजस्थान पत्रिका।

RRIJM 2015, All Rights Reserved